GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department Mahanagar ARTO Lucknow (UP321) FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. Description of Vehicle Dealer's Name & Address : UP32LJ9012 MOTOR CAR

Registration Date Purpose For Printing RC

: 30-Jul-2020 :CA

PUNEET AUTOMOBILES PVT.LTD., 403-407 UTTARDHAUNA TIWARIGANJ, FAIZABAD ROAD LUCKNOW...

Owner Name

RAM PRAKASH SINGH Full Address: (Permanent)

Son/wife/daughter of

LALLU SINGH

: 13/3/12 RAMKOT ASHARFI, BHAWAN CHAURAHA AYODHYA, FAIZABAD, AYODHYA, UTTAR PRADESH-224123

Full Address: (Temporary)

Fitness UpTo : 29-Jul-2035 Owner Serial No

: 1/476 VINAY KHAND GOMTI, NAGAR, LUCKNOW, LUCKNOW-UTTAR PRADESH-226010 Tax UpTo

Detailed Description

Class of Vehicle Ownership Maker's Name

Front HSRP No Type of Body No of Cylinders Engine No

Horse Power(BHP) Maker's Classification

Seating Cap(in all)

Vehicle Purchase As

BA2500366752 : 5 DOOR STEEL SHELL : 3 REVTRN11FZXK33679

TATA MOTORS LTD

118 19

MOTOR CAR

INDIVIDUAL

Month/Year of Manuf. Chassis No

Cubic Capacity TATA NEXON XZ+ 1.2 RTN BWheel base 56

: 5

: FOLIAG PREWT : Fully Built

Link Vehicle No

Norms Rear HSRP No

AC Fitted

As Regd.

BHARAT STAGE VI

BA2500366753 07/2020

: MAT627129LLF13879

PETROL 1199.00 : 2498

Standing Cap Unladen Wt (kgs) : 1226 Laden/GV Wt (kgs) : 1636

: YES

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.

Sleepar Cap

Other Criteria

Colour

Description

Weight(in kgs)

a) Front:

b) Rear:

c) Other:

d) Tandem:

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of HDFC BANK LTD, LUCKNOW,

Lucknow, Uttar Pradesh-226001 w.e.f. 24-Jul-2020.

Purchase dt **OTT Date**

: 24-Jul-2020 : 24-Jul-2020

Sale Amt

: 970000/-

: 09-Mar-2021

TaxUpTo : One Time Tax Exempted or Not

: NOT EXEMPTED

Amount/Rcpt No Vehicle is Govt./ Pvt.

: 77600 / UP321D2007001783 : PRIVATE

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner Old State

Transfer Date

Previous RegNo

Date of Approval

Entry Date Conversion Date

This certificate is valid from 30-Jul-2020 to 29-Jul-2035

Date: 09-Mar-2021 18:55:44

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of

egistering Au Date: 09 Mar 2021

M 1801799

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यक्षिक तंजी से दृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा मुख्यला आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इन अतिरिवत जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की संस्थितिकता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे सिये चुनौती बन गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में देश में लगभग 4.64 साख दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 1.48 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 4.71 लाख व्यक्ति धायल हो गए। वर्ष 2018 में देश में लगभग 42,568 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 22,256 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 29,644 लाख व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ—साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंिक आंकड़े बताते है कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमृत्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि-

अवश्य करें

- 1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने।
- 2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।
- 3. चौराहे पर लाईट रेड हाने पर आगे न बढ़े।
- 4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।
- 5. सड़क संकेतों / चिन्हों का हमेशा पालन करें।

कभी न करें

- 1. ड्राईविंग लाईसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाडी न चलाएं।
- 2. वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें।
- 3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
- 4. खतरनाक ढंग / गति से गाड़ी न चलाएं।
- 5. शराब पीकर गाडी न चलाएं।
- 1. परिवहन विमाग का पोर्टल (www.uptransport.org)
- 2. परिवहन विभाग की हेल्पलाईन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी